

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

चलाना भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 549/1068/2021/20-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 27/10/2021

सवि

सी0बी0एस0ई0,
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने कावत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-एस0पी0एस0 इंटरनेशनल स्कूल श्योपुर, जिला-श्योपुर, म0प्र0 को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
- (2) विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण तथा उनके द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (3) संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रकिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
- (4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिया जाये।
- (5) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जायेगी।
- (6) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रैम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

निरन्तर...2


Manager
SPS International School
Sheepur (M.P.)


Principal
S.P.S. International School
Sheepur (M.P.)

- (1) छात्र-छात्राओं की भाषाओं में लगे हुए पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से कानूनी तरीके से खरीदी जाएगी। किसी पुस्तक विशेष से कानूनी तरीके से बचाव नहीं रहेगी।
- (2) संस्था की छात्रों को सबसे निकट से शिक्षालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिए परिवहन शिक्षण द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं पैस जमाने का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किसे जाने वाले वाहनों की किसी भी एसे जलनशील सामान जैसे घरेलू एलपीजी गैस से संबंधित नहीं किया जायेगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माता-उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी अभि-समय वक्रे की आवश्यक रूप से जावस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
- (4) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- (5) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रविष्टित पुस्तकों भी नहीं स्वी जा सकेगी।
- (6) संस्था के संचालन में अव्ययिता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण जांच करने का अधिकार होगा।
- (7) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता अथवा अभिभावकों को किसी भी प्रकार की स्वीनिंग प्रक्रिया नहीं अपनाएगा।
- (8) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक गैर-शैक्षणिक अमले की सेवा शर्तें जो कि राज्य शासन के समरूप होने चाहिए के पालन न होने की स्थिति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।
- (9) सम्यक निरीक्षण के पश्चात एक बार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर सोसायटी ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्हीं भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्हीं मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को मान्यता नियम, 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का

निरन्तर...3

अनुसरण करती हुए स्कूल की मांग्यता मिलीकेत करने और प्रभावशाली
इसे वापिस लेने की शक्ति होगी।
प्रार्थनापूर्वक शर्तों का पालन न करने पर जारी अनारक्षित प्रमाण पत्र
विरुद्ध विन्यास जा सकेगा।

महाराष्ट्र प्रदेश के राज्यपाल के नाम में
सभा सदस्यत्व प्राप्त।

(प्रमोद सिंह)

उप सचिव

महाराष्ट्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 10/10/2021

पु.क.सं. - 600/1068/2021/20-3

लेखिका

- (1) विशेष सहायक, मान. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
 - (2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, महाराष्ट्र भोपाल।
 - (3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, महाराष्ट्र भोपाल।
 - (4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, महाराष्ट्र।
 - (5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-श्यापुर, महाराष्ट्र।
 - (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था--एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल श्यापुर, जिला-श्यापुर, महाराष्ट्र।
 - (7) फोल्डर प्रति,
- सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

उप सचिव

महाराष्ट्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


Manager

SPS International School
Sheepur (M.P.)


Principal

S.P.S. International School
Sheepur (M.P.)